

परिषद की वाराणसी जोन के अन्तर्गत

वाराणसी, फैजाबाद, इलाहाबाद, मिर्जापुर,
गोरखपुर, बलिया एवं प्रतापगढ़ नगरों की
सम्पत्तियों का

आवंटन/नीलामी

आवंटन / नीलामी
दि.: 29.09.2012
समय:- प्रातः 10:30 बजे

स्थल:-
सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय,
जवाहर नगर, वाराणसी



भवनों / भूखण्डों का प्रकार	सं०	क्षेत्रफल वर्ग मी० में	आरक्षित दर प्र.व.मी./अनु. मू. फ्री-होल्ड सहित (₹० लाख में)	टोकन मनी/पंजीकरण घनराशि (₹० लाख में)
----------------------------	-----	------------------------	--	--------------------------------------

लाटरी ड्रा से निस्तारित होने वाली आवासीय सम्पत्तियां

भरतपुरी योजना, गोण्डा				
आ० भू०-पी-1989, 1990	02	41.81	4704.00	0.10
पाण्डेयपुर योजना, वाराणसी				
आ० भू०-2ए/76	01	59.42		(विस्थापित कास्तकार को आवंटन हेतु प्रस्तावित)
अवधपुरी योजना, फैजाबाद				
दु० आ० वर्ग-1389	01	27.99	2.00	0.10

नीलामी से निस्तारित होने वाली आवासीय सम्पत्तियां

सूरजकुण्ड योजना, गोरखपुर				
आ० भू०-डी-10	01	232.00	8288.00	0.97
आ० भू०-डी-2/1	01	255.00	8288.00	1.06
झूसी योजना सं० 3, इलाहाबाद				
दु० आ० वर्ग-6/137 के साथ लगी अतिरिक्त भूमि	01	24.95	7840.00	0.10
इन्दु विहार योजना, प्रतापगढ़				
दु० आ० वर्ग-सी-218 के साथ लगी अतिरिक्त भूमि	01	13.86	4480.00	0.035
देव प्रयागम् योजना, इलाहाबाद				
आ० भू०- बी-4,6,7,8	04	288.00 प्रति नग	6720.00	0.97

नीलामी से निस्तारित होने वाली व्यवसायिक सम्पत्तियां

कबीर नगर योजना, वाराणसी				
दुकान-एस०-1/11	01	7.17	10.70	1.07
हरपुर योजना, बलिया				
व्य० भू०-2बी/सी० पी-1	01	92.40	16352.00	1.52
व्य० भू०-2बी/सी० पी-2	01	108.00	16352.00	1.77
महादेव झारखण्डीय योजना, गोरखपुर				
दुकान संख्या-एस-7	01	12.69	5.07	0.53
दुकान संख्या-एस-10	01	8.53	3.41	0.35
शाहपुर योजना संख्या-2/3, गोरखपुर				
दु०-एल० जी० एफ० एस-2,3,4,5, 8,9,10,11	08	9.633	7.11	0.72

सम्पत्तियों का प्रकार/सं०	सं०	क्षेत्रफल वर्ग मी० में	आरक्षित दर/अनु. मू. फ्री-होल्ड सहित (प्रति वर्ग मी०)	एफ० ए० आर०	ग्राउण्ड कवरेज	अधि ऊँचाई (मी० में)	टोकन मनी/पंजीकरण घनराशि (₹० लाख में)
---------------------------	-----	------------------------	--	------------	----------------	---------------------	--------------------------------------

दुकान-यू० जी० एफ० एस-8,9	02	9.633	4.64				0.47
दुकान-एल० जी० एफ० एस-7	01	9.922	4.79				0.48
दुकान-एल० जी० एफ० एस-1,6,7,12	04	9.922	7.33				0.74

नीलामी से निस्तारित होने वाली व्यवसायिक सम्पत्तियां

पाण्डेयपुर योजना, वाराणसी							
कम्प्यूनिटी सेंटर-3ए-2 (लीज पर)	01	3053.68	8512.00				26.00
कम्प्यूनिटी फैसिलिटी-1 (लीज पर)	01	1031.19	12768.00				13.17
कम्प्यूनिटी फैसिलिटी-2 (लीज पर)	01	1480.00	12768.00				18.90
अवधपुरी योजना फैजाबाद							
व्यवसायिक भूखण्ड-सी० पी-6ए,7	02	368.50	9408.00				3.47
व्यवसायिक भूखण्ड-सी० पी-6बी	01	243.81	9408.00				2.30
झूसी योजना सं०-2, इलाहाबाद							
दुकान संख्या-एस-2/12	01	15.82	7.83				0.79
दुकान सं.-एस-2/13/14	02	9.60	4.85				0.49
दुकान सं.-एस-2/33	01	13.59	4.35				0.44
दुकान सं.-एस-2/11	01	16.56	8.35				0.84
दुकान सं.-एस-2/10	01	14.32	7.25				0.73
शाहपुर योजना संख्या-1, गोरखपुर							
व्यवसायिक भूखण्ड-सी० पी-1	01	81.00	19488.00				1.58
रुस्तमपुर तिवारीपुर योजना, गोरखपुर							
व्यवसायिक भूखण्ड-सी.पी-1	01	66.33	16576.00				1.10
व्यवसायिक भूखण्ड-सी.पी-2	01	64.64	16576.00				1.07
व्यवसायिक भूखण्ड-सी.पी-3	01	71.74	16576.00				1.20
व्यवसायिक भूखण्ड-सी.पी-4	01	80.89	16576.00				1.34
डोमरौली योजना, मिर्जापुर							
व्यवसायिक भूखण्ड-105	01	174.00	12320.00	1.5	50	15 मीटर	2.15
व्यवसायिक भूखण्ड-110	01	144.00	12320.00	1.5	50	15 मीटर	1.78
व्यवसायिक भूखण्ड-114	01	289.45	12320.00	1.5	50	15 मीटर	3.57
दुकान संख्या - एस-2,3	02	9.39	3.70				0.37
दुकान संख्या - एस-6	01	15.15	5.94				0.60
दुकान संख्या - एस-7	01	18.71	7.33				0.74
दुकान संख्या - एस-10	01	6.667	4.45				0.45
दुकान संख्या - एस-11	01	8.667	5.78				0.58

आवंटन हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप: 1-योजना/शहर का नाम 2-भवन/भूखण्ड संख्या व क्षेत्रफल 3-आवेदक का नाम 4- पिता/पति का नाम 5-पत्र व्यवहार का पता, स्थायी पता 6- दूरभाष/मोबाइल नम्बर, ईमेल आई०डी० 7-आरक्षण श्रेणी (राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित प्रमाण पत्र संलग्न करें) 8-संलग्न किये गये बैंक ड्राफ्ट का विवरण-बैंक ड्राफ्ट संख्या, दिनांक 9-निर्गतकर्ता बैंक का नाम, धनराशि 10-भुगतान का विकल्प, आवेदक के हस्ताक्षर तिथि स्थान।

सील बिल का प्रारूप: 1-योजना/शहर का नाम 2-सम्पत्ति की संख्या व क्षेत्रफल 3-आरक्षित मूल्य 4-ऑफर मूल्य/दर (जिस पर आवेदक सम्पत्ति चाहते हैं) 5-टोकन के रूप में बयाना धनराशि ₹० 6-बैंक ड्राफ्ट संख्या, दिनांक 7-नाम 8-पिता/पति का नाम 9-आरक्षण श्रेणी (राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित प्रमाण पत्र संलग्न करें) 10- पत्र व्यवहार का पता 11- दूरभाष/मोबाइल नम्बर, ईमेल, आई०डी० हस्ताक्षर..... 12-दिनांक, स्थल, नाम, पिता/पति का नाम, संस्थान/फर्म/कम्पनी का नाम..... पूरा पता.....

घोषणा: (आवेदन/सील बिल एवं दोनों के साथ आवश्यक): 1-मैंने स्थल पर सम्पत्ति को देख लिया है। मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट हूँ "जहाँ है जैसी है" के आधार पर लेने के लिए सहमत हूँ। 2-मेरे पति/पत्नी अथवा अवयस्क बच्चों के नाम सम्बन्धित..... शहर में कोई भवन/भूखण्ड नहीं है एवं उ०प्र० के किसी अन्य नगर में एक से अधिक आवासीय भवन/भूखण्ड नहीं है। 3-मेरे पति/पत्नी अथवा अवयस्क बच्चों की 2010-11 की समस्त श्रोतों से आय ₹० से अधिक नहीं है। 4-मुझे उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद की सभी अध्यावधिक नियम एवं शर्तें मान्य हैं। तिथिस्थान.....आवेदक के हस्ताक्षर व पता.....

नियम व शर्तें: 1-आवेदन/सील बिल फार्म संबंधित शहर/योजना के उ०प्र० कार्यालय/जोन कार्यालय से भी ₹० 100.00 जमा करके प्राप्त किया जा सकता है। 2-सील बिल/ऑफर अंकित करते हुए ₹. 100.00 के बैंक ड्राफ्ट (आवेदन/सील बिल फार्म कार्यालय से न लेकर उपरोक्त प्रारूप पर तैयार कर जमा कराने की दशा में) एवं व्यवसायिक सम्पत्तियों हेतु 10 प्रतिशत तथा आवासीय सम्पत्तियों हेतु 5 प्रतिशत टोकन मनी सहित नीलामी से एक दिन पूर्व (कार्य दिवस) तक संबंधित कार्यालय/जोन कार्यालय में डाक द्वारा अथवा व्यक्तिगत रूप से प्राप्त होना चाहिए। 3-आवंटन हेतु आवेदन पत्र तथा नीलामी हेतु सील बिल संबंधित शहर/योजना के लिए उल्लिखित सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय में अथवा जोन कार्यालय में निम्न पते पर प्राप्त कराया जा सकता है- कार्यालय सहायक आवास आयुक्त, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, आफिस कम शॉपिंग काम्प्लेक्स, जवाहर नगर(मेलपुर) वाराणसी (सभी नगरों हेतु) वाराणसी, बलिया, मिर्जापुर हेतु-स०प्र० कार्यालय, जवाहर नगर, वाराणसी।

गोरखपुर हेतु-स०प्र० कार्यालय सूरजकुण्ड, गोरखपुर। इलाहाबाद एवं प्रतापगढ़ हेतु-स०प्र० कार्यालय, 50/6, अलोपी बाग, इलाहाबाद।

फैजाबाद हेतु-स०प्र० कार्यालय अंगूरीबाग, फैजाबाद। गोण्डा हेतु- सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय, भरतपुरी योजना, गोण्डा। 4-सम्पत्तियों की संख्या एवं मूल्य में कमी अथवा वृद्धि हो सकती है। 5-आवासीय सम्पत्तियों का आवंटन शासनादेश/परिषद के प्रदेशन सम्बन्धी विनियम एवं आदेशों के अनुसार आवेदकों के मध्य लाटरी पद्धति से किया जायेगा, किन्तु जिन सम्पत्तियों का नीलामी से होने का उल्लेख है उन्हें नीलामी पद्धति से निस्तारित किया जायेगा। 6-आवासीय सम्पत्तियों हेतु सम्पत्ति के मूल्य का 5 प्रतिशत का पंजीकरण बैंक ड्राफ्ट/पे-आर्डर जो "उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद" के पक्ष में सम्बन्धित नगर में भुगतान योग्य देय होगा, के साथ निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र दिनांक 27.09.2012 तथा सील बिल नीलामी तिथि से एक दिन पूर्व तक(कार्य दिवस में) सायं 5:00 बजे तक उपरोक्त पतों पर प्राप्त हो जानी चाहिए अथवा नीलामी के समय टोकन प्राप्त कर खुली बोली में भाग लिया जा सकता है। 7-अपूर्ण एवं सशर्त आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होंगे। 8-सम्पत्ति वर्तमान परिस्थितियों में "जहाँ है जैसी है" के आधार पर आवंटित की जायेगी। सम्पत्ति के लोकेशन, आकार या स्थलीय स्थिति के आधार पर बाद में कोई दावा स्वीकार नहीं होगा। 9-सम्पत्ति का कब्जा देय भुगतान के बाद ही नियमानुसार निर्धारित स्टाम्प पेपर पर अनुबंध/विक्रय-विलेख उपरान्त किया जायेगा। 10-आवेदक अथवा उसका परिवार परिषद द्वारा केवल एक ही आवासीय सम्पत्ति का प्राधिकारी होगा तथा आवेदक के पास उस नगर में कोई भूखण्ड/भवन नहीं होना चाहिए तथा उ०प्र० के अन्य किसी नगर अथवा किसी शहरी क्षेत्र में एक से अधिक भूखण्ड/भवन नहीं होना चाहिए। 11-एक आवेदक एक से अधिक भवन/भूखण्ड हेतु आवेदन की स्थिति में अन्तिम आवंटन हेतु एक ही भवन/भूखण्ड देय होगा तथा शेष आवंटन निरस्त किये जायेंगे। 12-सील बिल देते समय लिफाफे के ऊपर योजना/सम्पत्ति संख्या का उल्लेख न होने पर आवेदन निरस्त माना जायेगा। 13-सम्पत्तियों का विस्तृत विवरण एवं शर्तों की जानकारी हेतु सम्बन्धित उ०प्र० कार्यालय/जोन कार्यालय में सम्पर्क किया जा सकता है अथवा परिषद की वेबसाइट: <http://www.upavp.com> पर Public Notices के अन्तर्गत देखी जा सकती है। 13-कारनर की सम्पत्तियों पर परिषद नियमानुसार 10 प्रतिशत अतिरिक्त मूल्य देय होगा। 14-समस्त प्रकरणों में परिषद के अध्यावधिक नियम एवं शर्तें प्रभावी होंगी। किसी भी विवाद की स्थिति में आवास आयुक्त का निर्णय अन्तिम एवं बाध्यकारी होगा। 15-आरक्षण शासनादेश/परिषदादेशों के अनुसार देय होगा। आवास आयुक्त

डायल करें 0522-2236803
(टोल फ्री-
1800-180-5333)

परिषद ने ग्राहकों की शिकायतों व समस्याओं के निस्तारण के लिए
जग केन्द्र की स्थापना की है जिसमें आप फोन द्वारा अपनी शिकायत व समस्या दर्ज करा सकते हैं।
यह सेवा प्रत्येक कार्य दिवस में प्रातः 10:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक उपलब्ध है

सुविधा

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद
आई.एस.ओ. 9001 : 2000 प्रमाणित संस्था
104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ
website: <http://www.upavp.com>, E-mail : upavp@sancharnet.in

 